

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
(चिकित्सा शिक्षा एवं शोध)

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या..... 518(1) / रांची, दिनांक 2/8/02

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान नियमावली, २००२

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम २००२ की धारा ३१ एवं इसके साथ पठित उपर्युक्त धारा की उप धारा १ में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा :—

१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण :— इन नियमों को राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान नियम, २००२ कहा जा सकेगा।

२. परिभाषाएँ:— इन नियमों में जब तक कि सदर्थ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

- (i) “अधिनियम” का अर्थ है राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, २००२ ;
- (ii) “संस्थान” से अर्थ है राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, २००२ की धारा—३ के अन्तर्गत स्थापित राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान ;
- (iii) “निदेशक” से अर्थ है संस्थान का निदेशक ;
- (iv) “सरकार” से अर्थ है झारखण्ड सरकार ;
- (v) “अध्यक्ष” से अर्थ है संस्थान का अध्यक्ष ;
- (vi) “उपाध्यक्ष” से अर्थ है संस्थान का उपाध्यक्ष ;
- (vii) “धारा” से अर्थ है अधिनियम की धारा ;
- (viii) “शासी परिषद्” से अर्थ है संस्थान का शासी परिषद् ;
- (ix) “कार्यकारिणी समिति” से अर्थ है संस्थान की कार्यकारिणी समिति ;

(x) "नियम" से अर्थ है राज्य सरकार द्वारा निर्मित नियम ;

(xi) "विनियम" से अर्थ है संस्थान द्वारा निर्मित विनियम ;

3- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं शासी परिषद के भत्ते । - (१) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या शासी परिषद का कोई अन्य सदस्य किसी प्रकार के भत्ते या किसी अन्य पारिश्रमिक का अधिकारी नहीं होगा।

तथापि वह अधिनियम की धारा (३२) के अधीन निर्मित विनियमों के अधीन योग्य होने पर यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता प्राप्त कर सकेगा। उप नियम (१) का कोई प्रावधान निदेशक पर लागू नहीं होगा। वह निदेशक के पद से सम्बद्ध वेतन एवं भत्ते प्राप्त कर सकेगा।

4- स्थायी समितियाँ । - (१) अधिनियम की धारा (१८) में किए गये उपबंधों एवं इस नियमावली में लिये गए प्रावधानों के अधीन शासी परिषद निम्नलिखित स्थायी समितियों का गठन कर सकेगा।

(i) वित्त तथा लेखा समिति;

(ii) शैक्षणिक संवर्ग के पदों के लिए चयन समिति;

(iii) शैक्षणिक संवर्ग के पदों से भिन्न वर्ग - १ एवं समूह "ए" के पदों के लिए चयन समिति;

(iv) शैक्षणिक (Academic) समिति;

(v) संपदा समिति;

(२) (i) प्रत्येक स्थायी समिति का एक सभापति एवं एक उपसभापति होगा, जो निरपवादिक रूप से शासी परिषद का सदस्य होगा परन्तु शैक्षणिक संवर्ग के पदों के लिए गठित स्थायी चयन समिति की स्थिति में शासी परिषद का उपाध्यक्ष, सभापति होगा; तथा सचिव, चिकित्सा शिक्षा, झारखण्ड सरकार, उपसभापति होगा।

(ii) संस्थान का निदेशक प्रत्येक स्थायी समिति का सदस्य एवं पदेन सचिव होगा।

(iii) किसी भी स्थायी समिति के सदस्यों की कुल संख्या सभापति सहित सात से अधिक नहीं होगी जिसमें न्यूनतम चार सदस्य शासी परिषद के सदस्यों में से होंगे तथा शेष स्थायी समिति के कार्य क्षेत्र एवं विषय से सम्बंधित विशेषज्ञ होंगे। सभापति को निर्णायक मत का अधिकार होगा।

(iv) राज्य सरकार का वित्त आयुक्त / सचिव, वित्त विभाग अथवा अपर वित्त आयुक्त वित्त एवं लेखा समिति का सदस्य होगा।

- (v) राज्य सरकार के लोक निर्माण (भवन निर्माण) विभाग का एक असैनिक (सिविल) अभियंता जो मुख्य अभियंता से अन्यून पद का न हो, संपदा समिति का सदस्य होगा।
- (vi) अधिनियम की धारा-७ (xi) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा शासी परिषद के लिए मनोनीत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि निरपवाद रूप से नियम 4 (i) (ii) एवं (iii) में उल्लिखित स्थायी चयन समिति के सदस्य होंगे।
- (3) शैक्षणिक संवर्ग के पदों के लिए गठित स्थायी चयन समिति विनियमों में निर्धारित ग्रेडिंग/ अंक आधारित पद्धति के आधार पर अपनी अनुशंसाएं देगा, परन्तु विनियमों का निर्माण होने तक शासी परिषद द्वारा स्वीकृत ग्रेडिंग/ अंक आधारित पद्धति व्यवस्था लागू रहेगी। शैक्षणिक संवर्ग के पदों के लिए गठित स्थायी चयन समिति में निम्न लिखित सात सदस्य होंगे :
- (i) शासी परिषद का उपाध्यक्ष (विकास आयुक्त, झारखण्ड सरकार) पदेन सभापति
 - (ii) सचिव, चिकित्सा शिक्षा, झारखण्ड सरकार, पदेन उपसभापति
 - (iii) निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, झारखण्ड सरकार या चिकित्सा शिक्षा के निदेशक पद पर किसी के कार्यरत नहीं होने की स्थिति में अपर निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, पदेन सदस्य
 - (iv) संस्थान का निदेशक - पदेन सदस्य सचिव
 - (v) शासी परिषद में राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 7(xi) के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के मनोनीत प्रतिनिधि-सदस्य
 - (vi) राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त दो वाह्य विशेषज्ञ जिनका संस्थान से संबंध न हो, शासी परिषद द्वारा अनुमोदित चिकित्सा दन्त चिकित्सा एवं नर्सिंग विशेषज्ञों के पैनल से अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। चयन समिति के दोनों मनोनीत वाह्य विशेषज्ञ उस क्षेत्र एवं विषय के विशेषज्ञ होंगे जिसके लिए रिक्ति होगी।
- दो सदस्य
- (4) स्थायी वित्त समिति को निम्नलिखित मामले सौंपे जाएंगे जिन पर वह विचार करेगी तदुपरांत उन पर अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगी ; यथा :
- (i) संस्थान का वार्षिक लेखा आय एवं व्ययों को दर्शाते हुए इनके अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ। ;
 - (ii) संस्थान का बजट प्राक्कलन - अनुमानित आय एवं व्यय को दर्शाते हुए
 - (iii) नये पदों के सृजन एवं उनके वेतनमान से संबंधित सभी प्रस्ताव।
 - (iv) संस्थान से संबंधित वित्तीय मामले।
 - (v) एक करोड़ रुपये या उससे अधिक के संविदा की स्वीकृति से संबंधित सभी मामले।
 - (vi) सेवाओं को वाह्य स्रोत से कराने से संबंधित सभी मामले।
 - (vii) फीस तथा शुल्कों के आरोपण से संबंधित सभी मामले।

- (5) अधिनियम की धारा - 6 के खण्ड (i) से (xi) में निर्दिष्ट विषयों पर विचार करने हेतु शैक्षणिक / अकादमिक समिति का गठन किया जाएगा ।
- (6) संपदा समिति का गठन संस्थान के रिहाइसी आवासों के आवंटन एवं भवनों में वृद्धि एवं सम्परिवर्तन तथा रख रखाव एवं उपयोग से संबंधित प्रश्नों पर विचार करने हेतु किया जाएगा ।

(7) स्थायी समिति के सभापति तथा उनकी अनुपस्थिति में उपसभापति द्वारा निर्धारित स्थान एवं समय पर प्रत्येक स्थायी समिति की बैठक बुलाई जा सकेगी ।

(8) स्थायी समिति की बैठक हेतु कोरम चार होगा, लेकिन नियम 4 (i) (ii) में वर्णित स्थायी चयन समिति की स्थिति में स्थायी समिति की बैठक तबतक नहीं होगी जबतक नियम 4 (3) (vi) में उल्लिखित विशेषज्ञ तथा नियम 4 (2) (vi) में उल्लिखित अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित न हों । इसी प्रकार नियम 4 (1) (iii) में वर्णित स्थायी चयन समिति की स्थिति में स्थायी समिति की बैठक तबतक नहीं होगी जबतक नियम 4 (2) (iii) में उल्लिखित कम से कम एक विशेषज्ञ तथा नियम 4 (2) (vi) में वर्णित अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि उपस्थित न हों ।

(9) जबतक अन्यथा प्रावधान न किया गया हो पैनल में शामिल विशेषज्ञों सहित स्थायी समिति के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा तथा निवर्तमान सदस्य शासी परिषद द्वारा पुनर्मनोनयन के पात्र होंगे ।

(10) किसी स्थायी समिति में आकस्मिक रिक्ति को अध्यक्ष द्वारा मनोनयन द्वारा भरा जायेगा ।

(11) सभी स्थायी समितियां परामर्शदातृ समितियां होंगी

5. तदर्थ समितियां । - (1) शासी परिषद अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानानुसार विशिष्ट उद्देश्यों के लिए विचारार्थ विषयों एवं कार्यकाल के निर्धारण के साथ तदर्थ समितियों का गठन कर सकेगी ।

(2) तदर्थ समितियों के सदस्यों का कार्यकाल उन विशिष्ट कार्यों के पूर्ण हो जाने पर स्वतः समाप्त हो जायेगा, जिनके लिए समितियों की स्थापना की गई हो ।

(3) तदर्थ समिति में किसी आकस्मिक रिक्ति को संस्थान के अध्यक्ष द्वारा मनोनयन के द्वारा भरा जायेगा ।

(4) किसी भी तदर्थ समिति के सदस्यों की कुल संख्या पांच से अधिक नहीं होगी ।

(5) तदर्थ समिति की बैठक का कोरम दो होगा ।

(6) शासी परिषद एक करोड़ रुपये से कम के कय हेतु कय समिति का गठन कर सकेगा । वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के प्रतिनिधि तथा संस्थान के आंतरिक वित्तीय सलाहकार निस्पवादिक रूप से कय समिति के सदस्य होंगे ।

6. स्थायी समितियों तथा तदर्थ समितियों के सदस्यों के भत्ते । - (1) स्थायी समितियों तथा तदर्थ समितियों के सदस्य केवल यात्रा एवं दैनिक भत्ते प्राप्त करने के अधिकारी होंगे जो अधिनियम की धारा (३२) के अधीन निर्मित विनियमन के अधीन निर्धारित की गई हो ।

7. अध्यक्ष तथा अध्यक्ष की शक्तियाँ एवं कार्य । — अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष ऐसी शक्तियों का उपयोग एवं कार्यों का निष्पादन कर सकेंगे जैसा कि अधिनियम, इन नियमों एवं विनियमों में विनिर्दिष्ट हो ।

8. पदों का सृजन । — (1) शासी परिषद पदों का सृजन कर सकेगी, बशर्ते उनके लिए बजट में विशिष्ट प्रावधान किया गया हो एवं जो सरकार के अधीन समरूप पदों के वेतनमान के अनुरूप हो या सरकार द्वारा अनुमोदित विभिन्न वेतनमानों के अनुरूप हो । परिषद उन्हें विभिन्न ग्रेडों में वर्गीकृत तथा पदनाम को निर्दिष्ट कर सकती है, परन्तु इससे यदि वेतन में वृद्धि होती है तो राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी ।
(2) पदों के सृजन में भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद तथा इसी प्रकार के अन्य संवैधानिक परिषदों द्वारा निर्धारित मापदण्डों को, जहां कहीं भी लागू हो, ध्यान में रखा जायेगा ।

9. संस्थान के निदेशक की नियुक्ति । — (i) संस्थान के निदेशक पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं शैक्षणिक अनुभव वही होंगे जो किसी चिकित्सा संस्थान के निदेशक के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित है । गैर-चिकित्सकीय कार्मिक निदेशक के पद पर नियुक्त नहीं किये जा सकेंगे ।

(ii) निदेशक का पद प्रोन्नति का पद नहीं होगा । यह पद विज्ञापन द्वारा भरा जायेगा ।

(iii) निदेशक के पद पर नियुक्ति शासी परिषद द्वारा राज्य सरकार से पूर्वानुमोदन प्राप्त कर की जायेगी । शासी परिषद निदेशक की नियुक्ति तीन वर्षों के लिए करेगी । यदि पदधारी का कार्य एवं आचरण पूर्ण रूप से शासी परिषद की नजर में सन्तोषजनक हों तो शासी परिषद उनके कार्यकाल को राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन प्राप्त कर दो वर्ष और बढ़ा सकती है बशर्ते उसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक न हो ।

(iv) राज्य सरकार संस्थान के पहले निदेशक को एक वर्ष अथवा शासी परिषद द्वारा नियम 9 (iii) के अधीन किसी निदेशक की नियुक्ति करने तक, जो भी पहले हो, नियुक्ति कर सकती है ।

(v) निदेशक के अवकाश पर जाने, त्यागपत्र देने, सेवानिवृत्त होने या किसी अन्य कारण से पद रिक्त होने की स्थिति में नये निदेशक की नियुक्ति होने तक संस्थान का अध्यक्ष निदेशक के कार्यों की देखभाल के लिए वरीष्ठतम प्राध्यापक को छः महीनों से अनधिक अवधि के लिए नियुक्ति कर सकता है । पुनः यदि ऐसी नियुक्ति की अवधि छः महीने से अधिक होती है, तो ऐसी नियुक्ति हेतु राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

(vi) इन नियमों में विनिर्दिष्ट किसी बात को होते हुए संस्थान को उसकी दृष्टि में यदि ऐसा करना लोकहित में हो, संस्थान के निदेशक को उसके कार्यकाल के पूर्व कम से कम तीन महीने पहले लिखित सूचना अथवा इसके बदले तीन महीने का वेतन एवं भत्ते देकर, हटा का अधिकार होगा ।

निदेशक को भी संस्थान को कम से कम तीन महीने की सूचना देकर किसी भी समय नियम कार्यकाल से पूर्व पद छोड़ने का अधिकार होगा।

10. निदेशक की शक्तियाँ एवं कार्य। — (1) निदेशक एक राज्य स्तरीय विभागाध्यक्ष की प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

(2) निदेशक ऐसी अतिरिक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जैसा कि अधिनियम की धारा ३२ के अधीन निर्मित विनियमन में विहित हो एवं जैसा उन्हें शासी परिषद द्वारा शक्तियाँ प्रत्यायोजित किया गया हो।

(3) उसे प्रशासनिक पक्ष के पदाधिकारियों को अपनी शक्तियों में से किसी शक्ति को, ऐसी सीमाओं के अधीन जो शासी परिषद के द्वारा उस पर अधिरोपित हो, प्रत्यायोजित करने की शक्ति होगी।

(4) निदेशक वार्षिक प्रतिवेदन तथा संस्थान का अंकेक्षित लेखा शासी परिषद के समक्ष रखेगा तथा शासी परिषद के अनुमोदनोपरान्त उसे राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।

(5) संस्थान का निदेशक वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए आय व्ययक प्रस्ताव पुनरीक्षित प्राक्कलन को सम्मिलित करते हुए तथा आगामी वित्तीय वर्ष के बजट प्राक्कलन को सूत्रबद्ध करेगा।

(6) किसी योजना (स्कीम) के लिए बजट प्राक्कलन में कोई उपबंध शामिल नहीं किया जायेगा जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित या अनुशंसित न हो।

(7) निदेशक को अपने कार्यों के निष्पादन में, ऐसी सीमा के अधीन जो शासी परिषद द्वारा उस पर अधिरोपित हो, संस्थान के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इसके कार्यकलापों के संचालन अथवा परामर्श हेतु व्यवसायिकों (प्रोफेशनल्स) की अंशकालिक सेवाएं प्राप्त करने की शक्ति होगी।

11. पदों पर नियुक्ति। — (1) (i) शैक्षणिक संवर्ग के सभी पदों पर नियुक्ति, खुले विज्ञापन तथा शैक्षणिक संवर्ग के पदों हेतु स्थायी चयन समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर शासी परिषद द्वारा की जायेगी। ऐसी सभी नियुक्तियाँ संविदा के आधार पर भी विशेष सेवा — शर्त निर्धारण कर की जा सकेगी।

(ii) शैक्षणिक संवर्ग के सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव वही होगा जो भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय दन्त परिषद, भारतीय नर्सिंग परिषद अथवा ऐसी किसी अन्य वैधानिक परिषद, जैसा लागू हो, के द्वारा निर्धारित किया गया हो।

स्पष्टीकरण: — इन नियमों में शैक्षणिक संवर्ग के पदों से तात्पर्य है :— ऐसे पद जिन्हें सम्बद्ध / प्रासंगिक वैधानिक परिषद द्वारा अपेक्षित अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए शासी परिषद द्वारा शैक्षणिक संवर्ग का पद घोषित किया हो।

(2) शासी परिषद ऐसे सरकारी सेवकों को भी नियुक्त कर सकेगी जिन्होंने संस्थान द्वारा दिये गये खुले विज्ञापन के प्रत्युत्तर में आवेदन किया हो तथा नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर संस्थान में समायोजित होने के लिए तैयार हों।

(3) शासी परिषद द्वारा अधिनियम की धारा 14 (iii) के प्रावधान के अनुसार आंतरिक वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति की जायेगी। इस प्रकार नियुक्त किये गये आंतरिक वित्तीय सलाहकार का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा।

(4) उप निदेशक (प्रशासन) के पद पर नियुक्ति, शासी परिषद द्वारा खुले विज्ञापन के माध्यम से वर्ग- १ एवं समूह 'ए' के पदों के लिए स्थायी चयन समिति की अनुशंसाओं के आधार पर उन योग्य उम्मीदवारों में से की जायेगी जो २०० शय्या वाले अस्पताल के प्रबंधन के पांच वर्षों के अनुभव के साथ अस्पताल प्रशासन / अस्पताल प्रबंधन में डिप्लोमा या डिग्रीधारी हों। ऐसे उम्मीदवार के उपलब्ध न हो पाने की स्थिति में शासी परिषद, राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुशंसित पैनल से भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी अधिकारी अथवा राज्य प्रशासनिक सेवा के ऐसे पदाधिकारी जो अपर जिला दण्डाधिकारी (मजिस्ट्रेट) से अन्यून स्तर का न हो, कम से कम तीन वर्षों के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त कर सकती है।

(5) एक लेखा पदाधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति शासी परिषद द्वारा की जायेगी।

(6) जबतक अन्यथा उपबंधित न हो, किसी पद पर सभी नियुक्तियाँ वर्ग- १ एवं 'ए' कोटि का पद समूह के लिए गठित स्थायी चयन समिति अथवा इस प्रयोजनार्थ गठित तदर्थ समिति की अनुशंसाओं के आधार पर खुले विज्ञापन द्वारा की जायेगी। ऐसी नियुक्तियाँ विशिष्ट, शर्तों एवं परिस्थितियों पर संविदा के आधार पर भी की जा सकेंगी।

(7) संस्थान का एक निगरानी पदाधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति झारखण्ड सरकार के निगरानी विभाग से परामर्श कर शासी परिषद द्वारा की जायेगी।

12. कर्मचारियों का पूर्णकालीक सेवक होना। - जबतक किसी मामले में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित न हो संस्थान का कर्मचारी पूर्णकालीक रूप से संस्थान के नियंत्रण में होगा तथा अतिरिक्त पारिश्रमिक का दावा किये बिना समुचित प्राधिकारी द्वारा अपेक्षा किये जाने पर किसी भी रीति से उसे नियोजित किया जा सकेगा।

13. आचार, अनुशासन और, शास्तियाँ। - (1) राज्य सरकार के सेवकों पर लागू होने वाले आचरण नियमावली तथा सेवा संहिता आवश्यक परिवर्तन के साथ संस्थान के कर्मचारियों पर तबतक लागू होगी जबतक कि अधिनियम की धारा (३२) के प्रावधानों के अनुसार संस्थान स्वयं अपनी सेवा, अनुशासन एवं आचार संबंधी विनियमों को तैयार नहीं कर लेता।

(2) संस्थान नियमावली की अधिसूचना के दो वर्ष के अन्दर अधिनियम की धारा (३२) उपबंधों के अनुसार स्वयं अपनी सेवा, अनुशासन एवं आचार विनियमावली बनायेगा।

(3) शासी परिषद, नियमावली की अधिसूचना के दो वर्ष के भीतर नियुक्ति पदाधिकारियों को अधिरोपित हो सकने योग्य शास्तियों के लिए अनुशासन पदाधिकारी तथा संस्थान के विभिन्न पदों के लिए अपीलीय प्राधिकारी निर्धारित करेगा।

(4) संस्थान में प्रतिनियुक्त सरकारी सेवकों के किसी मामले को छोड़कर झारखण्ड लोक आयोग से किसी प्रकार का परामर्श आवश्यक नहीं होगा।

14. सेवा-निवृत्ति । - संस्थान के कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की उम्र शैक्षणिक संवर्ग के पदों की दशा में ६० वर्षों की तथा गैर शैक्षणिक पदों की स्थिति में ५८ वर्षों की होगी ।

15. सेवा की अन्य शर्तें । - (1) जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, राज्य सरकार के सेवकों पर लागू सेवा की सामान्य शर्तें, वेतन, यात्रा एवं दैनिक भत्ता सहित भत्ते, छुट्टी वेतन, योगदान का समय, विदेश सेवा संबंधी शर्तों के संबंध में सरकारी नियम तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत आदेश और विनिश्चय अत्यावश्यक परिवर्तन के साथ संस्थान के कर्मचारियों पर तब तक लागू रहेंगे जबतक इस संबंध में अधिनियम की धारा (३२) के उपबंधों के अनुसार, संस्थान स्वयं अपनी विनियमावली तैयार नहीं कर लेता (2) संस्थान नियमावली की अधिसूचना के दो वर्षों के अन्दर सेवा की सामान्य शर्तें, वेतन, यात्रा एवं दैनिक भत्ते सहित, छुट्टी वेतन इत्यादि से संबंधित अपनी विनियमावली बनाएगा । (3) संस्थान के सभी पद गैर-व्यवसायिक (नन-प्रेक्टिसिंग) होंगे ।

16. पदों का वेतनमान । - राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर शासी परिषद द्वारा संस्थान के पदों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाएगा । परन्तु, इस अधिनियम के लागू होने के समय विद्यमान / लागू वेतनमान तब तक लागू रहेगा जबतक शासी परिषद इस नियम के अधीन किए गए प्रावधानों के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं करती है ।

17. नियुक्ति हेतु अहर्ताएं । - जबतक अन्यथा उपबंधित न हो, गैर शैक्षणिक पदों के लिए उम्र, अनुभव एवं अन्य अहर्ताओं को शामिल करते हुए भर्ती नियमावली, देश के समान प्रकृति की अन्य चिकित्सीय शिक्षण संस्थाओं में ऐसे पदों के लिए निर्धारित की गयी योग्यता एवं अनुभव को ध्यान में रखते हुए शासी परिषद के अनुमोदन से बनायी जाएगी । परन्तु उस समय तक, जब तक इस नियम के अनुसार, शासी परिषद भर्ती नियमावली का अनुमोदन नहीं करती है, अधिनियम के लागू होने के समय विद्यमान पदों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता एवं अनुभव लागू रहेंगे ।

18. शुल्क एवं प्रभार । - (1) शासी परिषद देश की समान प्रकृति के समरूप चिकित्सा शिक्षण संस्थाओं द्वारा उद्गृहीत शुल्कों को ध्यान में रखते हुए ऐसा शुल्क एवं प्रभार निर्धारित कर सकेगी जो संस्थान के उद्देश्यों को पूरा करने की दृष्टि से आवश्यक हो । (2) राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत अनुदेश के अध्वधीन शासी परिषद स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए नामांकन हेतु चयनित उम्मीदवारों द्वारा देश शुल्क निर्धारित करेगी ।

परन्तु इस अधिनियम के प्रवर्तन के समय जो शुल्क निर्धारित था वह देय होगा जब तक स्थान द्वारा इस उपनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता।

(3) इन्टर्न्स, स्नातकोत्तर छात्रों, एवं हाउसमैन को भुगतेय वृत्तिका (स्टाइपेंड) में दर का निर्धारण शासी परिषद द्वारा सदृश चिकित्सा-शिक्षण संस्थाओं में लागू / प्रचलित वृत्तिका की दर को ध्यान में रखते हुए एवं इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के अध्ययधीन किया जाएगा।

परन्तु इन्टर्न्स, स्नातकोत्तर छात्रों तथा हाउसमैन की वृत्तिका का भुगतान अधिनियम के प्रवर्तन के समय प्रचलित दर से उस समय तक किया जा सकेगा जबतक कि शासी परिषद द्वारा इस उपनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं किया जाता।

19. समावेशन / समायोजन। - इस अधिनियम के प्रवर्तन के समय संस्थान में पदस्थापित सरकारी सेवकों को अधिनियम के प्रवर्तन की तिथि से संस्थान में समायोजित होने हेतु विकल्प प्रस्तुत करने हेतु एक वर्ष का समय दिया जाएगा। वैसे सरकारी सेवक जो निर्धारित समय-सीमा के भीतर समायोजन हेतु विकल्प नहीं देंगे उन्हें राज्य सरकार द्वारा राज्य में अन्यत्र पदस्थापित करने हेतु स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार को वापस कर दिया जाएगा।

20. बजट प्राक्कलन। - अनुमानित आय एवं व्यय को दिखाते हुए संस्थान का वार्षिक बजट दो भागों में सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में तैयार किया जाएगा तथा तीन प्रतियों में १५ अक्टूबर से पूर्व प्रत्येक वर्ष उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, यथा:

भाग - I - गैर योजना व्यय से संबंधित

भाग - II - योजना व्यय से संबंधित

2. संस्थान का निदेशक एक रजिस्टर संधारित करेगा जिसमें राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुदानों एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त धन को दर्शाया जाएगा। यह रजिस्टर विशिष्ट मदों / शीर्षों या विशिष्ट उद्देश्यों पर किये जाने वाले व्यय हेतु आवंटित सभी धन राशि का उल्लेख करेगा।

21. निधि / कोष में निक्षेप एवं उससे निकासी। - (i) कोष / निधि में जमा सभी धनराशि को रांची के भारतीय स्टेट बैंक अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक की किसी शाखा में जमा किया जाएगा।

(ii) कोष / निधि का संचालन निदेशक द्वारा किया जाएगा तथा निधि से निकासी संयुक्त रूप से निदेशक या निदेशक द्वारा यथोचित रूप से प्राधिकृत किसी पदाधिकारी एवं संस्थान के लेखा पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चेक द्वारा की जाएगी।

(iii) सभी भुगतेय विपत्रों की पूर्व जांच संस्थान के लेखा पदाधिकारी द्वारा की जाएगी।

22. वार्षिक लेखा विवरणी । - संतुलन-पत्र सहित संस्थान की वार्षिक लेखा विवरणी सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र के अनुरूप होगी । ३१ मार्च को समाप्त होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष की विवरणी अंकक्षण प्रतिवेदन के साथ प्रत्येक वर्ष ३० दिसम्बर से पूर्व सरकार द्वारा समय-समय पर वांछित अतिरिक्त प्रतियों में सरकार को प्रस्तुत की जाएगी ।

23. वार्षिक प्रतिवेदन । - अधिनियम की धारा- २३ में निर्दिष्ट वार्षिक प्रतिवेदन ३१ मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से संबंधित होगा तथा प्रत्येक वर्ष इसे सरकार द्वारा समय-समय पर वांछित अतिरिक्त प्रतियों में आगामी ३० जून से पूर्व सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा ।

24. प्रत्यर्पण / विवरणी । - संस्थान सरकार को आवश्यकतानुसार विवरणी तथा सूचना सरकार द्वारा वांछित तरीकों एवं प्रपत्रों में उपलब्ध कराएगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से


सचिव


चिकित्सा शिक्षा एवं शोध

झारखण्ड सरकार


रांची

12/8/02

ज्ञाप संख्या-१/स्था १-३०/२००१(खण्ड) 518(1)/स्वा०, रांची, दिनांक
प्रतिलिपि: अधीक्षक, सरकारी मुद्रणालय, रांची को सरकारी राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ
प्रेषित । इसकी २००(दो सौ) मुद्रित प्रतियां विभाग को शीघ्र भेजी जाय ।


सरकार के सचिव

ज्ञाप संख्या-१/स्था १-३०/२००१(खण्ड) 518(1)/स्वा०, रांची, दिनांक 12/8/02
प्रतिलिपि: मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव / राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
के आप्त सचिव / मुख्य सचिव / विकास आयुक्त / सचिव, वित्त विभाग / सचिव, विधि विभाग
/ सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग / सचिव, कार्मिक विभाग / सचिव, भवन निर्माण एवं
आवास विभाग / सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / सचिव, उर्जा विभाग / महालेखकार, विहार
एवं झारखण्ड, पटना / रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



सरकार के सचिव

जाप संख्या-१/स्था १-३०/२००१(खण्ड) 518(1)/स्वा०, रांची, दिनांक 12/8/02


प्रतिलिपि: मन्त्रि, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित ।


सरकार के सचिव

जाप संख्या-१/स्था १-३०/२००१(खण्ड) 518(1)/स्वा०, रांची, दिनांक 12/8/02
प्रतिलिपि: राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, रांची के शासी परिषद् के सभी सदस्यों / राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों / अस्पतालों के अधीक्षक / कोषागार पदाधिकारी, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के सचिव

जाप संख्या-१/स्था १-३०/२००१(खण्ड) 518(1)/स्वा०, रांची, दिनांक 12/8/02
प्रतिलिपि: सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, नई दिल्ली / सचिव, मेडिकल कॉन्सिल ऑफ इंडिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के सचिव

